<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>हस्ताक्षरयुक्त आदेश</th><th>कार्यालय अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>16-05-2023</td><td>

<u>वाद सं0–12/2023</u>

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई।

आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि आयोग के 22.03.2023 के आदेश के आलोक में लाभुकों को हरजाने के साथ राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया की कुल 14 लोगों ने शिकायत की थी, जिनमें 6 लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया है। परिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिवाद पत्र में अंकित श्रीमती चैती मिंज, श्री कमिल पन्ना, श्री विनोद मिंज, श्री राम प्रित, श्री नाबिया किसान एवं श्री विमल मिंज को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है, जबकी परिवाद पत्र के शेष 8 लाभुकों को नहीं दिया गया है। चूंकि परिवाद पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है, अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शेष को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध कराकर प्राप्ति अगली निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध करायें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

</td><td></td></tr>
<tr><td>D:\Premlata\Court.docx24</td><td></td><td></td></tr>
</table>